भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *269
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत शिकायतें

†*269. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः
श्री बैन्नी बेहननः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जून, 2025 की स्थिति के अनुसार जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कितने गाँवों और परिवारों के पास जलापूर्ति के लिए एक चालू नल है;
(ख) क्या सरकार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत खराब नलों या अपर्याप्त जलापूर्ति के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिलावार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने और जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत शिकायतों के संबंध में सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे और श्री बैन्नी बेहनन द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *269 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाली नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार 30.06.2025 तक बढ़कर 15.66 करोड़ (80.89%) हो गई है। इसके अलावा, लगभग 2.63 लाख गाँव 'हर घर जल' के रूप में सूचित किए गए हैं, अर्थात् 100% ग्रामीण परिवारों में नल जल आपूर्ति हो रही है। नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों और 'हर घर जल' गाँवों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) जल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। इस प्रकार, सवालों/शिकायतों आदि, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* जेजेएम के तहत खराब नलों और अपर्याप्त जल आपूर्ति संबंधी समस्याओं पर कार्रवाई और उनका निपटान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है। जब कभी इस विभाग में ऐसी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, नागरिक भारत सरकार के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया जाता है। नल जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का जिला-वार विवरण राज्य स्तर पर रखा जाता है।

(ग) राज्यों ने सूचित किया है कि जल संकटग्रस्त, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, प्रबंधन, संचालन तथा रखरखाव करने संबंधी तकनीकी क्षमता की कमी, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं।

चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इनका समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामांकन; राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना तथा कार्यक्रम प्रबंधन के लिए तकनीकी कौशल सेटों और मानव संसाधन की उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु *"नल जल मित्र"* कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

मिशन के अंतर्गत, राज्यों को अन्य स्कीमों जैसे मनरेगा, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), 15वें वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पीआरआई को सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के साथ तालमेल स्थापित करते हुए स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग करने, आदि की सलाह दी गई है। इसके अलावा, अगस्त 2019 में देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों के लिए शुरू किए गए जल शक्ति अभियान ने जनभागीदारी से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया। वर्ष 2021 में, "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) को देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए "कैच द रेन - वेयर इट फाल्स वेन इट फाल्स" विषय के साथ शुरू किया गया था। जेएसए: सीटीआर 2021 से एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। इसके अलावा, सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पानी की हर बूंद के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संपूर्ण समाज और पूर्ण सरकार की अवधारणा का अनुपालन करते हुए, "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल को भी जेएसए: सीटीआर अभियान के भाग के रूप में शुरू किया गया है।

*****

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 269 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 30.06.2025 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति और सूचित किए गए हर घर जल वाले गांवों की संख्या:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार (संख्या लाख में)	15.08.2019 तक, नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		30.06.2025 तक, नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		गांव	
			संख्या (लाख में)	% में	संख्या (लाख में)	% में	कुल गांव	एचजीजे सूचित किए गए गांवों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.62	0.29	46.02	0.62	100	265	265
2.	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.20	70.62	73.93	15,999	4,784
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.28	100	5,133	5,133
4.	असम	72.24	1.11	1.54	58.97	81.63	24,486	8,169
5.	बिहार	167.55	3.16	1.90	160.35	95.71	37,308	32,301
6.	छत्तीसगढ़	50.00	3.20	6.40	40.57	81.17	19,656	5,081
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100	96	96
8.	गोवा	2.64	1.99	75.44	2.64	100	373	373
9.	गुजरात	91.18	65.16	71.46	91.18	100	18,024	18,024
10.	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	30.41	100	6,600	6,600
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	17.09	100	17,632	17,632
12.	जम्मू एवं कश्मीर	19.26	5.75	29.88	15.60	80.98	6,153	1,293
13.	झारखंड	62.54	3.45	5.52	34.43	55.04	29,398	4,828
14.	कर्नाटक	101.31	24.51	24.20	86.50	85.38	26,591	7,639
15.	केरल	70.77	16.64	23.51	38.67	54.64	1,435	132
16.	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.39	96.88	240	175
17.	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.00	0.12	91.44	10	8

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार (संख्या लाख में)	15.08.2019 तक, नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		30.06.2025 तक, नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		गांव	
			संख्या (लाख में)	% में	संख्या (लाख में)	% में	कुल गांव	एचजीजे सूचित किए गए गांवों की संख्या
18.	मध्य प्रदेश	111.70	13.53	12.11	78.45	70.23	51,154	20,089
19.	महाराष्ट्र	146.79	48.44	33.00	131.97	89.90	40,297	19,614
20.	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.59	79.59	2,556	613
21.	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.39	82.84	6,456	3,396
22.	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.33	100	637	637
23.	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.41	93.53	1,425	1,087
24.	ओडिशा	88.67	3.11	3.51	68.12	76.83	46,531	15,130
25.	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	1.15	100	91	91
26.	पंजाब	34.27	16.79	49.00	34.26	100	11,977	11,977
27.	राजस्थान	107.74	11.74	11.01	61.07	56.69	42,327	9,143
28.	सिक्किम	1.33	0.70	53.34	1.22	91.81	400	229
29.	तमिलनाडु	125.26	21.76	17.37	111.51	89.02	11,792	8,252
30.	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	53.98	100	9,693	9,693
31.	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.29	6.47	86.06	765	113
32.	उत्तर प्रदेश	267.22	5.16	1.96	240.68	90.07	97,073	34,741
33.	उत्तराखंड	14.49	1.30	8.96	14.15	97.64	14,985	11,632
34.	पश्चिम बंगाल	175.53	2.15	1.23	98.30	55.99	38,268	4,4073
कुल		**1,936.44**	**323.62**	**16.80**	**1,566.38**	**80.89**	**5,85,826**	**2,63,043**

दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण आबादी नहीं है। एचएच: परिवार

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

*****